प्रेस नोट दिनाँक- 11.12.2023

(1). आज दिनाँक 11.12.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 11.12.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम तथा उनके हमराही आरक्षी दीप प्रताप, आरक्षी राहुल पाण्डेय द्वारा अभियुक्ता रमेश रैदास पुत्र स्व0 रामऔतार रैदास निवासी मण्डौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस में 06 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी धीरेन्द्र कुमार, आरक्षी अनुज कुमार द्वारा मु0नं0 1358/19 धारा 406,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त कैलाश पुत्र दुर्गा आरख 2.दुर्गा पुत्र रामऔतार निवासी सीतापुर ग्रामीण थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही आरक्षी धीरेन्द्र किशोर, आरक्षी राजीव कुमार द्वारा मु0नं0 26/2018 धारा 138 एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त राजू कुशवाहा पुत्र रामखिलावन कुशवाहा निवासी मणिकुंज तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(iii). चौकी प्रभारी जिला अस्पताल श्री मुन्नीलाल तथा उनके हमराही आरक्षी जयनारायण पटैरिया द्वारा मु0नं0 2416/2013 धारा 457,380,411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त हुसैन पुत्र सुलेमान निवासी कसहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही मुख्य आरक्षी राहुल देव द्वारा मु0न0 44/2018 धारा 427,323,504,506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त अरविन्द उर्फ ठोकिया पुत्र कामता पटेल निवासी चमड़ा मण्डी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(v). थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 रमेश सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी नन्हे यादव द्वारा मु0अ0सं0 78/2023 धारा 323.504 भादवि0 व 3(1)घ एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त शिवपूजन पाण्डेय पुत्र जगन्नाथ निवासी गढ़वारा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी सरैंया ने एक रायहोकर मारपीट कर गैर इरादतन हत्या के मामले के 05 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.12.2023 को ग्राम गडचपा मजरा डूडिया पुरवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट प्रथम पक्ष के ननकौवा पुत्र छितानी के भतीजे अमन उम्र करीब 12 वर्ष का द्वितीय पक्ष के सुनील पुत्र रामप्रसाद कोरी उम्र करीब 12 वर्ष के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुयी है दोनों पक्षों को चोटें आई थी, प्रथम पक्ष के ननकौवा, संतलाल पुत्रगण छितानी ,एवं रज्जू पुत्र कुशल ,श्रीमति सोनू पत्नी संगम कोरी को अधिक चोटें होने के कारण जिला अस्पताल सोनेपुर कर्वी में भर्ती कराया गया था ,जिसमें मजरूव ननकौवा पुत्र छितानी उम्र करीब 45 वर्ष को जिला अस्पताल सोनेपुर से जिला अस्पताल बांदा रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान मजरुब ननकौवा की मृत्यु हो गई थी। मृतक के छोटे भाई संतलाल पुत्र छितानी की तहरीर पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 146/23 धारा 147,148,149,304,324,323,504,506 भादवि0 बनाम राजकुमार आदि 07 नफर अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

चौकी प्रभारी सरैंया तथा उनकी टीम द्वारा दिनाँक 10.12.2023 को उपरोक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त 1. राजकुमार 2, संतोष कुमार 3, ओमप्रकाश उर्फ राजा पुत्रगण चुनकाई 4,रामप्रसाद पुत्र वेजू 5, अनिल कुमार उर्फ सत्तू पुत्र रामप्रसाद कोरी निवासीगण डूडिया पुरवा मजरा गड़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से आलाकत्ल 01 अदद कुलहाड़ी, 02 अदद डंडे व 02 अदद लाठी बरामद की गयी। शेष 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

बरामदगीः-

आलाकत्ल 01 अदद कुलहाड़ी, 02 अदद डंडे व 02 अदद लाठी

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह

2, मुख्य आरक्षी अवधेश कुमार
3. आरक्षी रोहित सिंह यादव

(6). आज दिनाँक-11.12.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया। बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी। परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये।